



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

पत्र संख्या-8बी/यू.पी./06/25/2019/एफ.सी./209

दिनांक: 04.09.2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी(वन संरक्षण)  
17, राणा प्रताप मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/36788/2018)

विषय: जनपद-गोरखपुर में सोनौली-गोरखपुर मार्ग (रा0मा0 सं0-29ई0) के किमी0 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी0 98.945 (मोददीपुर चौराहा) तक भाग को 4 लेन में चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत किमी0 85.500 (मानीराम रेलवे क्रासिंग) पर प्रस्तावित आर0ओ0बी0 के निर्माण में प्रभावित 0.19384 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के, गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-354/11-सी-FP/UP/Road/36788/2018, लखनऊ, दिनांक-21.08.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-1849/11-सी-FP/UP/Road/36788/2018, लखनऊ, दिनांक-27.03.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद-गोरखपुर में सोनौली-गोरखपुर मार्ग (रा0मा0 सं0-29ई0) के किमी0 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी0 98.945 (मोददीपुर चौराहा) तक भाग को 4 लेन में चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत किमी0 85.500 (मानीराम रेलवे क्रासिंग) पर प्रस्तावित आर0ओ0बी0 के निर्माण में प्रभावित 0.19384 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के 388 वृक्षों का रोपण वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।  
(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।  
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

5. भू-क्षरण एवं जल-जमाव को रोकने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
6. पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र यदि आवश्यक हो, प्राप्त की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक मक डिस्पोजल परियोजना व्यय पर किया जाएगा।
8. प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
9. आवागमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नए मार्ग के निर्माण नहीं किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
11. इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई0पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)

उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. अपर वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।
5. कार्य/अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0 (रा0मा0), लो0नि0वि0, गोरखपुर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावती।



(के0 के0 तिवारी)

उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]